कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक- 646 /476/अका0प्र0/आउशि/09, भोपाल, दिनांक- 26/6/09

प्रति,

1. प्राचार्य,
   समस्त महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश

2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   मध्यप्रदेश

विषयः- सेमेस्टर पद्धति [illegible] 2008-09 के **drop outs** के नियमित प्रवेश के सम्बन्ध में ।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जो विद्यार्थी शुल्क जमा करने के उपरान्त किन्ही अपरिहार्य कारणों से सत्र 2008-09 से पूर्व तथा 2008-09 की प्रथम सेमेस्टर में नियमित नही रह सके तथा बीच में अध्ययन छोड़ देना पड़ा है उन्हें सत्र 2009-10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश दिया जाए । नियमित विद्यार्थियों के मेरिटअनुसार प्रवेश हो जाने पर स्थान रिक्त न होने की स्थिति में इन विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रवेश दिया जाएगा । यह आदेश स्ववित्तीय विद्यार्थियों के लिए भी लागू होगा । ड्राप आउट विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्यात्मक जानकारी इस कार्यालय को प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात प्रेषित करें ।

इसके अतिरिक्त परीक्षा फार्म भरकर परीक्षा नहीं देने वाले तथा परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी भूतपूर्व कहलाएंगे उन्हें सत्र 2009-10 की प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में भूतपूर्व छात्र की तरह परीक्षा की पात्रता होगी ।

25.6.2009

(आशीष उपाध्याय)
सचिव/आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश